<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 06/10/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 20 सितंबर, 2023

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -10/2023

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलैस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. संख्या 06/10/2023-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मै. प्लासेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलैस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल्स" (जिसे यहां आगे "वैक्यूम फ्लास्क" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक देश में उत्पाद का पाटन कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और आगे क्षति का खतरा बना हुआ

है । आवेदक ने चीन जन.गण., के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क या स्टेनलेस स्टील के अन्य वेसल्स" है। पीयूसी के दायरे में फ्लास्क, कप, बोतलें, केतली, कैराफे और डिस्पेंसर शामिल हैं। स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन जैसे कैसरोल और अन्य वैक्यूम खाद्य कंटेनर जैसे लंच बॉक्स/टिफिन, आइस बकेट और बॉक्सेस आदि पीयूसी के दायरे से बाहर आते हैं।

4. वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग पर्याप्त समय के लिए तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए होता है । फ्लास्क की बॉडी दो वॉल से निर्मित होती है जिनके बीच में वैक्यूम होता है जो एक इंसुलेटर या उष्मा के गैर सूचालक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार, तरल पदार्थ के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है । वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग लंबी समयावधि के लिए तरल पदार्थों को गरम या ठंडा रखने के लिए होता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 96 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षों 96170011 तथा 96170012 के अंतर्गत आता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पीसीएन का प्रस्ताव किया है :

क. आउटर स्टील वाल का ग्रेड - 200/300/400 श्रृंखला
ख. इनर स्टील वाल का ग्रेड - 200/300/400 श्रृंखला

7. हितबद्ध पक्षकारों का इस जांच शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पिणयां/सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से

निर्यातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद की "समान वस्तु" के रूप में माना गया है ।

ग. **संबद्ध देश**

9. आवेदक ने इस जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के रूप में चीन जन.गण. का प्रस्ताव किया है।

घ. **जांच की अवधि(पीओआई)**

10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और जांच की अवधि शामिल होगी ।

ड. **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

11. यह आवेदक मै. प्लेसेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पैक्सपो) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और नही वह संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है ।

12. आवेदक ने ज्ञात घरेलू उत्पादकों, जिनके बारे में आवेदक को जानकारी है, के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । तथापि, एम एस एम ई होने के नाते उसने दावा किया है कि उनके बारे में काफी सीमित जानकारी उपलब्ध है । प्राधिकारी मानते हैं कि इस स्तर पर आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है । इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण तथा उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं । आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धति का साधन इस स्तर पर उपलबध नहीं है । आवेदक ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है ।

ख. निर्यात कीमत

15. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सूचित आयातों के आधार पर सीआईएफ कीमत को अपनाया है । जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है ।

16. संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है ।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

18. आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है । आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । पी ओ आई में संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से काफी वृद्धि हुई है और सापेक्ष रूप से भी ये काफी अधिक रहे हैं । वर्ष 2021-22 से चीन के आयातों ने लागत से भी कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना शुरू किया और पी ओ आई में ये घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। निविष्टि लागतों में वृद्धि और आयात कीमतों में गैर अनुपातिक रूप से कम वृद्धि, जो लागत से भी कम है, के कारण घरेलू उद्योग लाभ कमाने की स्थिति से पी ओ आई में भारी घाटा उठाने की स्थिति में आ गया है । चीन के आयात बाजार में वस्तुत: अधिकांश हिस्सा कब्जाए हुए हैं जबकि भारतीय उद्योग का हिस्सा कम है । इसके अलावा, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति के अलावा आयातों से घरेलू उद्योग को आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और आगे और वास्तविक क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं ।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से

निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. पर तथा उसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 20 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. **समय सीमा**

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in. jd16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in तथा adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।

ठ. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध शेयर करना

36. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी